बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–6/वि01–1052/16 692 पटना, दिनांक– 20/3/17

प्रेषक :

ई–मेल

सतीश चन्द्र मिश्र,
मुख्य अभियंता (रूपांकण)।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक),
(रूपांकण एवं योजना प्रमण्डल छोड़कर)

विषयः– **वित्तीय वर्ष–16–17 में "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" सहित राज्य योजना अंतर्गत स्वीकृत अन्य सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवंटित की गयी राशि का शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–645, दिनांक–15.03.2017

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा निदेश दिया गया था कि वित्तीय वर्ष–16–17 में "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" सहित राज्य योजना अंतर्गत स्वीकृत अन्य सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवंटित की गयी राशि का शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जाए। अगर आपके प्रमण्डल अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में राशि का व्यय किया जाना संभव नहीं हो तो मदवार आवंटित राशि में से व्यय नहीं होने वाली राशि दो दिनों के अंदर निश्चित रूप से प्रत्यार्पित (Surrender) करना सुनिश्चित किया जाए। यह अवधि अब समाप्त हो चुकी है।

प्रधान सचिव द्वारा नियमित रूप से राज्य योजना बजट अतर्गत सभी शीर्षो के तहत आवंटन एवं व्यय की गहन सूक्ष्म समीक्षा की जा रही है एवं अब तक किये गये व्यय पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

दिनांक–20.03.2017 के सी.टी.आई.एम.एस. के प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य मंत्री चापाकल योजना अन्तर्गत प्रमंडलों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटित राशि 20.87 करोड़ रूपये एवं शहरी क्षेत्रों के लिए आवंटित राशि 6.11 करोड़ रूपये का व्यय अभी तक नहीं हुआ है साथ हीं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत पाईप/मिनी जलापूर्त्ति योजनाओं के निर्माण हेतु आवंटित राशि 29.72 करोड़ रूपये का व्यय भी अभी तक नहीं हुआ है।

अतः निदेश है कि वित्तीय वर्ष–16–17 में "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" सहित राज्य योजना अंतर्गत स्वीकृत अन्य सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवंटित की गयी राशि का शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जाए। राशि का प्रत्यार्पण किये जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध दायित्व का निर्धारण किया जायेगा, क्योंकि आपके द्वारा अधियाचित राशि के विरूद्ध हीं विभाग द्वारा राशि का आवंटन दिया गया है।

Sd/- 20.3.17
(सतीश चन्द्र मिश्र)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक– 692 दिनांक 20/3/17

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (रूपांकण एवं योजना अंचल छोड़कर) को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उपर्युक्त दिये गये निदेश का अपने स्तर से समीक्षा कर ससमय कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाए।

Sd/- 20.3.17
(सतीश चन्द्र मिश्र)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक– 692 दिनांक 20/3/17

प्रतिलिपिः– आई.टी. मैनेजर को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेश है कि पत्र की प्रति विभागीय वेवसाईट पर आज हीं अपलोड किया जाय।

Sd/- 20.3.17
(सतीश चन्द्र मिश्र)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

R DF-LETTER